न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 7/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बंशीलाल पुत्र धुलाराम जाति नाई निवासी गाजू तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 23.10.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 64/2018 सरकार बनाम बंशीलाल में निर्णय दिनांक 31.12.2018 के तहत मौजा गाजू के खसरा नं. 161 गै.मु. नाडी भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.01.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.01.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 64/18 सरकार बनाम बंशीलाल के फर्द अहकाम दिनांक 22.6.18 से 31.12.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, बयान की फोटोप्रति तथा नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–जैर अपील प्रश्नगत आदेश दिनांक 31.12.18 विधि के सुस्थापित प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–जैर अपील प्रश्नगत आदेश दिनांक 31.12.18 को पारित करने वाले पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार मेडता के पद पर पदस्थापित है। इनको तहसीलदार मुण्डवा का अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया हुआ है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी केवल कार्य व्यवस्थार्थ अर्थात रूटीन कार्य करने के लिये ही सशक्त है। न्यायिक निर्णय करने के अधिकार इनको नही दिये गये है। बिना अधिकार के पारित निर्णय दिनांक 31.12.18 निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलार्थी का कब्जा सुदा मकान/बाडा वक्त बंदोबस्त से ही इसी जगह पर बना हुआ है। कोई नया कब्जा नही किया है। बिना नाप–चोप या पेमाईश किये केवल मात्र अपीलार्थी के मकान को अनुचित तरीके से नाजायज कब्जा बताया गया जबकि अपीलार्थी के आस–पडोस की अवस्थिति मे और भी लोगो के मकान/बाडे बने हुए है, दूसरे किसी भी व्यक्ति के विरूद्व ऐसी कोई बेदखली की कार्यवाही नही की गई और न ही पटवारी द्वारा अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश है। इस प्रकार अपीलार्थी अकेले के विरूद्व यह कार्यवाही कतई स्वच्छ हाथो से संस्थित नही है। स्थानीय कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव मे आकर अपीलांट के विरूद्व यह गलत निराधार भेद भाव पूर्ण तथा असमानता मूलक भाव से यह कार्यवाही संस्थित करवायी गयी है। जो निरस्तनीय है।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–भू.अ. निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे यह स्पष्ट अभिमत दिया है कि अपीलार्थी की भूमि आबादी से चिपती हुई है। इसलिये सही नाप चोप व पेमाईश असल नक्शा सीट के आधार पर संभव है। पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.18 पारित करने से पूर्व न तो इस रिपोर्ट से सहमति या असहमति बाबत कोई अभिमत अभिलिखित नही किया और न ही वास्तविकता की जानकारी हेतु असल नक्शा सीट से पुनः पेमाईश करवायी। बिना कोई आधार के और बिना मस्तिष्क का उपयोग किये जैर अपील प्रश्नगत आदेश दिनांक 31.12.18 जारी कर दिया जो कि गलत होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–पटवारी गाजू ने प्रार्थी के विरूद्व 1 बीघा 3 बिस्वा की रिपोर्ट दिनांक 6.6.18 को पेश की। इस रिपोर्ट की बिनाय पर तहसीलदार मुण्डवा के न्यायालय के प्रथम आदेशिका दिनांक 22.6.18 को 12 बिस्वा अतिक्रमण की दर्ज हुई और इसी अनुरूप नोटिस जारी कर दिये तथा बेदखली का आदेश 6 बिस्वा भूमि का जारी कर दिया। इस प्रकार अतिक्रमण का कौनसा तथ्य सही है और सही का क्या आधार है? बाबत कोई विवेचन जैर अपील प्रश्नगत आदेश दिनांक 31.12.18 मे नही किया गया है। बिना किसी आधार के अपीलार्थी के पुश्तैनी मकान/बाडे को अतिक्रमण मानने मे पीठासीन अधिकारी ने भूल की है। अतः जैर अपील अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा गाजू में स्थित गै.मु. नाडी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके गाजू के खसरा नंबर 161 गै.मु. नाडी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण मे पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 6.6.18 मे 1.02 बीघा भूमि (यथा बाडा 0.16 बीघा, मकान 0.1 बीघा तथा टीन शेड 1.03 बीघा) विश्लेषित किया गया है। जिनके योग मे अंतर है। वास्तविक रूप से अपीलांट का कब्जा 1.02 बीघा पर है अथवा 2 बीघा पर है, स्थिति स्पष्ट नही है। इसी प्रकार पूर्व मे वर्ष 2006 मे अपीलांट के विरूद्व 0.06 बिस्वा भूमि को लेकर कार्यवाही की गई है। निरीक्षक भू अभिलेख की रिपोर्ट दिनांक 5.8.18 के अनुसार सही व पुख्ता जानकारी आबादी से चिपता होने से असल सीट से एवं टीम गठित करके सीमाकंन के बाद ही संभव है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किस आधार पर माना गया है, स्पष्ट प्रतीत नही होता है। जब आबादी व गै.मु. मुमकिन भूमि चिपती हुई है तो सीमांकन कर सही स्थिति को रेकर्ड पर लिया जाना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विशेषज्ञ राजस्व कार्मिको की एक टीम गठित कर असल सीट से आबादी व आराजी भूमि का सीमांकन करवा कर भूमि को चिन्हित किया जावे। यदि सीमांकन मे ग्राम गाजू के खसरा नं. 161 मे अतिक्रमण पाया जाता है, तो अपीलांट को नोटिस देकर उसे पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर